कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

चतुर्थ तल, कम्पोजिट राजस्व भवन, नीडम रोड़, चन्द्रवदनी नाका, लश्कर, ग्वालियर
E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in, Phone No: 0751-2452810

निविदा-सूचना

क्रमांक/5(1)/2026-27/E-1326557 **ग्वालियर, दिनांक .06.2026**

मध्यप्रदेश के जिलों (आपूर्ति क्षेत्रों) में सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा (स्पिरिट) की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना

1. मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई 2026 से दिनांक 31 मार्च 2027 की अवधि हेतु मद्य भाण्डागारों से देशी मदिरा के फुटकर ठेकेदारों को विभिन्न धारिता/पैकेजिंग/तेजी में देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों में आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों हेतु मध्यप्रदेश के आसवकों से निविदा सूचना में उल्लेखित प्रत्येक जिले (आपूर्ति क्षेत्र) के लिये निविदा ई-टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित की जाती है ।

2. **निविदा का कार्यक्रम एवं तिथियाँ -**

निविदा की टेक्नीकल एवं फायनेन्शियल बिड को खोलने की कार्यवाही आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/समिति द्वारा अग्रवर्णित तालिका में उल्लेखित तिथि, समय एवं स्थान पर की जाएगी।

1.	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने एवं निविदा ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.06.2026 को प्रात: 10:00 बजे से दिनांक 23.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक ।
2.	प्री-बिड बैठक की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 19.06.2026 को प्रात: 11:00 बजे से (आबकारी आयुक्त कैंप कार्यालय, भोपाल)
3.	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 23.06.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक । (आबकारी आयुक्त, कार्यालय ग्वालियर)

3. (i) निविदा दस्तावेज में निविदादाता इकाई की प्रदाय क्षमता से अभिप्रेत आसवनी(D-1) इकाई द्वारा विगत 05 वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) में से किसी वर्ष में किये गए अधिकतम वास्तविक स्पिरिट उत्पादन से है । गत 05 वर्ष के उत्पादन की जानकारी इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रदान की जाएगी ।

(ii) प्रत्येक इच्छुक आसवक एक या एक से अधिक जिले हेतु दरें प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक जिला एक आपूर्ति क्षेत्र होगा। प्रदेश में ऐसे 55 जिले (आपूर्ति क्षेत्र) होगें। मउगंज, मैहर एवं पांढुर्णा को पृथक आपूर्ति क्षेत्र/जिला मानकर आवंटन किया जाएगा ।

(iii) समस्त प्रदाय क्षेत्रों/जिलों में मसाला 25 यू.पी. एवं प्लेन 50 यू.पी. तेजी की देशी मदिरा का प्रदाय 180 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता में किया जाएगा। मसाला 25 यू.पी. एवं प्लेन 50 यू.पी. तेजी में 180 एम.एल. धारिता का प्रदाय कांच एवं पैट में किया जाएगा | वर्ष 2025-26 में 60 यू.पी. देशी मदिरा का प्रदाय अत्यंत कम होने के कारण वर्ष 2026-27 की निविदा अवधि में 60 यू.पी. मदिरा का प्रदाय अनुमत्य नही होगा |

(iv) सफल निविदादाता/आसवक द्वारा उन्हे आवंटित प्रदाय क्षेत्र/क्षेत्रों (जिले/जिलों) में देशी मदिरा की 180 एम.एल. की धारिता का प्रदाय एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक) में किया जा सकेगा, 90 एम.एल. धारिता का प्रदाय एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) में अनुमत्य नही होगा |

(v) उक्तानुसार समस्त प्रदाय क्षेत्रों/जिलों में देशी मदिरा का प्रदाय निम्नानुसार धारिता, पैकेजिंग एवं तेजी में किया जाएगा :-

1.	180 एम.एल. (प्रति पेटी 9 बल्क लीटर)	कांच	25 यू.पी.
2.			50 यू.पी.
3.		पैट	25 यू.पी
4.			50 यू.पी.
5.	90 एम.एल. (प्रति पेटी 4.5 बल्क लीटर)	पैट	25 यू.पी.
6.			50 यू.पी.
एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) मे निम्नानुसार तेजी/धारिता में प्रदाय किया जा सकेगा :-			
1.	180 एम.एल. (प्रति पेटी 9 बल्क लीटर)	एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा	25 यू.पी
2.			50 यू.पी.

4. निविदा की प्रक्रिया एवं शर्ते :-

4.1. निविदा प्रक्रिया :-

ई-टेण्डर के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक निविदादाता को निम्नांकित प्रक्रिया का पालन करना होगा -

(i) निविदा की प्रक्रिया एन.आई.सी. के पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से संपादित की जायेगी ।

(ii) समस्त आपूर्ति क्षेत्रों/जिलों हेतु एक ही निविदा प्रपत्र में निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करनी होगी ।

(iii) निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक निविदादाता को एन.आई.सी. के पोर्टल https://mptenders.gov.in के होम पेज पर "Online Bidder Enrollment" में जाकर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। इस हेतु निविदादाता का क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन उपरांत इच्छुक निविदादाता अपनी लॉगिन आई.डी., पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।

(iv) पात्र निविदादाता को निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु Mp Tenders पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर, लॉगइन/पंजीयन आई.डी आबकारी आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश ग्वालियर को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में आई.डी. प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को ही सीमित निविदा में भाग लेने के लिये पोर्टल पर अनुमति दी जायेगी।

(v) निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता को निर्धारित पोर्टल फीस, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अर्नेस्टमनी की राशि का भुगतान NEFT/RTGS अथवा Net Banking के माध्यम से पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशियाँ जमा न होने की स्थिति में निविदा में भाग नहीं लिया जा सकेगा ।

(vi) निविदादाता द्वारा स्वयं के हित में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि निविदा से सम्बन्धित देय राशियों का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से पर्याप्त समय पूर्व कर लिया गया है, ताकि उक्त राशियाँ पोर्टल के संबंधित खाते में यथासमय अंतरित हो सकें, क्योंकि जमा राशि के पोर्टल के खाते में अंतरण के अभाव में निविदादाता अपनी निविदा सबमिट नहीं कर सकेगा। किसी तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य कारण से अर्नेस्टमनी की राशि जमा/अपलोड न होने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं समय पर राशि जमा नहीं किये जाने पर निविदा प्रस्तुत करने की समयावधि में वृद्धि का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(vii) निविदादाता को निविदा में निर्धारित प्रारूप में टेक्नीकल एवं फाईनेन्शियल बिड प्रस्तुत करनी होगी। टेक्नीकल एवं फाईनेन्शियल बिड Freeze करने के बाद ही निविदा मान्य होगी । यदि अंतिम दिवस तक भी टेक्नीकल एवं फाईनेन्शियल बिड Freeze नहीं की जाती है तो निविदा अमान्य हो जावेगी। निविदा ऑफर समाप्ति समय के पूर्व तक निविदादाता अपनी निविदा को संशोधित (revise) कर सकता है। अंतिम Freeze की गई निविदा ही मान्य होगी।

(viii) निविदा सबमिट करने के बाद निविदादाता को Acknowledgement प्राप्त होगा। उक्त Acknowledgement का प्रिंट आउट संबंधित निविदादाता के निष्पादन स्थल पर उपस्थित होने हेतु प्रवेश पत्र के रुप में मान्य होगा। अतः यह प्रिंट आउट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाये परन्तु निविदाकार की अनुपस्थिति, निविदा खोलने के समय को बढाने/संशोधित करने का आधार नहीं होगी ।

(ix) निर्धारित दिनांक एवं समय पर टेक्नीकल बिड खोली जाकर परीक्षण पश्चात् सफल निविदादाता की फाईनेन्शियल बिड खोली जाएगी । फाईनेन्शियल बिड खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित निविदा पर प्राप्त समस्त ऑफर्स की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

(x) निविदा प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु एन.आई.सी. के पोर्टल के हेल्प डेस्क नम्बर 0120-4001002, 0120-4200462, 0120-4001005 अथवा 0120-6277787 पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है। साथ ही ई-मेल आई.डी mptenders@mpsedc.com और support-eproc@nic.in पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।

4.2. टेण्डरप्रपत्र का मूल्य एवं अर्नेस्टमनी -

निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रपत्र का मूल्य **01 लाख रूपए** होगा । निविदा के लिए निर्धारित अर्नेस्टमनी की **राशि 50 लाख रूपए** होगी, जो टेण्डर में भाग लेते समय ही जमा करनी होगी। निविदा के बाद प्रदाय क्षेत्रों/जिलों के आवंटन उपरांत तथा समस्त सफल निविदादाताओं की निर्धारित सुरक्षा राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् समस्त निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि वापिस की जाएगी।

4.3. टेक्नीकल बिड-

4.3.1 तकनीकी <u>पात्रता की शर्तें :-</u>

(I) निविदादाता को मध्यप्रदेश का आसवक (डिस्टलर) होना चाहिए ।

(II) निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को निविदादाता पर आसवनी (डी-1) लायसेंस कार्यशील स्थिति में होना अनिवार्य है ।

(III) दिनांक 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति में आबकारी विभाग की अधिरोपित/देय राशि, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में संपूर्ण जमा होना चाहिये ।

(IV) निविदादाता को निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-अ)** में टेक्नीकल बिड के साथ निम्नानुसार अभिलेखों की स्कैन्ड कॉपी पी.डी.एफ. फॉर्मेट में आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी :-

1. निविदादाता के पक्ष में आसवनी (D-1) की कार्यशील अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति।
2. संलग्नक-I अनुसार निर्धारित प्रारुप में आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित साख एवं अदेय प्रमाण पत्र।
3. निविदादाता की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु कम्पनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में जारी Authorization/ Resolution Letter की प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति |
4. रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनी द्वारा इकाई के पंजीकृत बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की अद्यतन सूची |
5. कंपनी की विगत 3 वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25) की ऑडिट रिपोर्ट |
6. कंपनी की विगत 3 वर्षों की बैलेंस शीट (वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25) |
7. संलग्नक-II अनुसार नॉन-ज्युडीशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र ।

4.3.2 <u>टेक्नीकल बिड का खोला जाना एवं परीक्षण :-</u>

(I) टेक्निकल बिड मूल्यांकन हेतु गठित समिति को यह अधिकार होगा कि टेक्निकल बिड के अंतर्गत पोर्टल से प्राप्त अभिलेखों के संबंध में निविदादाता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेगी, निविदादाता को आवश्यक स्पष्टीकरण, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर प्रस्तुत करना होगा । स्पष्टीकरण के अंतर्गत कोई भी नवीन अभिलेख प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा ।

(II) टेक्निकल बिड मूल्यांकन हेतु गठित समिति निम्नानुसार कारणों से निविदादाता को टेक्निकल बिड में अपात्र घोषित कर सकेगी :-

1. टेक्निकल बिड में समस्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से,
2. टेक्निकल बिड में प्रस्तुत अभिलेख निर्धारित प्रारूप में न होने से,
3. टेक्निकल बिड प्रारूप में से कोई शर्त हटाये/संशोधित किये जाने से,
4. साख एवं अदेय प्रमाणपत्र अथवा शपथ पत्र सशर्त दिए जाने से,
5. टेक्निकल बिड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फाइनेंशियल ऑफर/दरें प्रस्तुत किये जाने पर,
6. टेक्निकल बिड के अभिलेखों का सत्यापन निविदादाता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं किये जाने से,
7. उक्त कारणों के अतिरिक्त पात्रता संबंधी निविदा के अन्य किसी बिंदु के उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में

4.4. फायनेंशियल बिड- निविदादाता को पोर्टल पर उपलब्ध **BOQ Excel Sheet** के प्रारूप **(संलग्नक-ब)** में ही फायनेंशियल बिड प्रस्तुत करनी होगी।

(i) निविदादाता जिस प्रदाय क्षेत्रों/जिलों में ऑफर प्रस्तुत करना चाहता है, उस प्रदाय क्षेत्रों/जिलों के लिए निविदादाता द्वारा 180 एम.एल. धारिता हेतु मसाला 25 यू.पी एवं प्लेन 50 यू.पी. के लिए मदवार काँच एवं पैट में प्रति पेटी (नौ बल्क लीटर) हेतु पृथक-पृथक दरें अनिवार्यतः उल्लेखित की जाएंगी ।

दरें अंकित करने हेतु BOQ में जिलेवार निम्नानुसार Rows होंगी:-

Type Of Liqour/Strength /Packaging	**Quoted Offer for 180 ML Per Case (9 Bulk Litre)**
Masala (25 UP), Pet	
Plain (50 UP), Pet	
Masala (25 UP), Glass	
Plain (50 UP), Glass	

यदि निविदादाता द्वारा किसी जिले हेतु उपरोक्तानुसार समस्त अनिवार्य दरें अंकित नहीं की जाती है तो उस जिले हेतु उसकी निविदा विचार योग्य नहीं होगी, भले ही आंशिक प्रस्तुत दरें न्यूनतम ही क्यों न हों ।

फायनेंशियल बिड की **BOQ Excel Sheet** में प्रत्येक सेल/फील्ड को भरा जाना तकनीकी रूप से अनिवार्य है, अतः निविदादाता जिन जिलों हेतु प्रदाय दरें प्रस्तुत नहीं करना चाहते है उसके समक्ष की समस्त सेल/फील्ड में 0 (Zero) अंकित करना होगा ।

(ii) जिलेवार उक्त 4 प्रकार की मदिरा/पैकेजिंग की दरों के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा **ऑफर प्रस्तुत किये गए समस्त जिलों के लिए एक समान** 90 एम.एल. की धारिता में प्रति पेटी (4.5 बल्क लीटर) हेतु, सम्बंधित तेजी में 180 एम.एल. (9 बल्क लीटर), पैट की प्रदेश की परिगणित EDP से आवश्यक कमी प्रतिशत का ऑफर उल्लेखित करना होगा। यह कमी न्यूनतम 25% होना अनिवार्य है ।

90 एम.एल. पैकेजिंग हेतु निर्धारित न्यूनतम कमी प्रतिशत के आधार की गणना **संलग्नक-V पर अंकित है** ।

उक्तानुसार 90 एम.एल. पैकेजिंग के लिए कमी प्रतिशत अंकित करने हेतु BOQ में निम्नानुसार Rows होंगी :-

	Percentage (%)
90 ML (4.5 Bulk Litre) (% decrease from EDP of Respective Strength, Pet 180 ML)	

निविदादाता द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त ऑफर अंकित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदादाता की दरें **किसी भी प्रदाय क्षेत्र/जिलें** हेतु विचार योग्य नहीं होगी, भले ही आंशिक प्रस्तुत दरें न्यूनतम भी क्यों न हों ।

90 ML मदिरा की खपत, प्रदेश की देशी मदिरा की कुल खपत का लगभग नगण्य (0.84%) होने से उक्त दरों को निविदा के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

5. निविदा का मूल्यांकन तथा जिले के L-1, L-2 आदि का निविदाकार का निर्धारण:-

5.1. किसी जिले में निविदादाताओं द्वारा 180 एम.एल. पैट बोतल की मसाला एवं प्लेन मदिरा की प्रति पेटी उल्लेखित दरों से, गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के औसत पेटियों की खपत के आधार पर भारित औसत (Weighted Average) को निकाला जायेगा। भारित औसत (Weighted Average) की गणना हेतु प्लेन को 69% एवं मसाला को 31% Weightage दिया जायेगा । जिस निविदादाता की यह भारित औसत दर न्यूनतम होगी, उसे सम्बंधित जिले हेतु L-1 निविदादाता निर्धारित किया जाएगा ।

उदाहरण : यदि किसी जिले में निम्नानुसार दरें प्राप्त होती है,

निविदादात	**मसाला (पैट)**	**प्लेन (पैट)**	**कांच (मसाला)**	**कांच (प्लेन)**
X	710	610	820	715

तो उसके लिए पैट का भारित औसत 641 (=710*0.31+610*0.69) होगा, जिसे जिले के L-1 के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा ।

5.2. किसी जिले हेतु एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा उल्लेखित (Quote) की गयी पैट बोतलों की मसाला एवं प्लेन की उपरोक्तानुसार भारित औसत दर में समानता पाये जाने पर, उनके द्वारा काँच बोतल की प्रति पेटी हेतु प्रस्तुत एवं मान्य मसाला एवं प्लेन की भारित औसत दरों को विचार में लिया जायेगा तथा इनमें से जिस निविदादाता की काँच बोतल की भारित औसत दर न्यूनतम होगी उसे सम्बंधित जिले हेतु L-1 निविदादाता माना जाएगा।

निविदादाता	**मसाला (पैट)**	**प्लेन (पैट)**	**मसाला (कांच)**	**प्लेन (कांच)**
X	710	610	820	715
Y	715	607.75	800	730

उदाहरण : किसी जिले में निम्नानुसार दरें प्राप्त होने पर :-

उक्त दरों में पैट का भारित औसत सामान होने से, इनके कांच के भारित औसत के आधार पर L-1 का चयन होगा । उक्त स्थिति में X का कांच का भारित औसत 747.55 (=820*0.31+715*0.69) है एवं Y के कांच का भारित औसत 751.70 (=800*0.31+730*0.69) है । अतः X को L-1 निर्धारित किया जायेगा ।

5.3. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा उल्लेखित (Quote) की गयी पैट एवं काँच की प्रति पेटी उक्त भारित औसत न्यूनतम दरों में भी समानता पाये जाने पर इन निविदादाताओं द्वारा जिले के लिए पैट प्लेन, पैट मसाला, कांच प्लेन, कांच मसाला के क्रम में प्रस्तुत एवं मान्य दरों की तुलना कर, उक्त दरों में से न्यूनतम दर वाले निविदादाता को L-1 निर्धारित किया जाएगा ।

उपरोक्त समस्त दरें समान होने पर लॉटरी से L-1 निविदादाता का चयन किया जाएगा। इस संबंध में कोई वार्ता (Negotiation) नहीं की जाएगी ।

5.4. उक्तानुसार ही जिलों के लिए क्रमश: L-2, L-3 इत्यादि का निर्धारण किया जाएगा, परन्तु किसी जिले में L-2 निविदादाता, L-3 निविदादाता आदि द्वारा प्रस्तुत दरें (पैट के मसाला एवं प्लेन का भारित औसत) उस जिले के प्रथम चयनित निविदादाता (L-1) द्वारा प्रस्तुत एवं मान्य दरें (पैट के मसाला एवं प्लेन का भारित औसत) से 30 प्रतिशत से अधिक होने पर, उसे संबंधित जिले हेतु L-2, L-3 आदि मान्य नहीं किया जावेगा एवं न ही उनकी प्रस्तुत दरों को आगामी गणनाओं में सम्मिलित किया जाएगा।

6. देशी मदिरा की EDP का निर्धारण :-

6.1. देशी मदिरा 180 एम.एल. धारिता की प्लेन एवं मसाला (कांच एवं पैट) हेतु EDP निर्धारण :-

(I) समस्त जिलों में प्राप्त एवं मान्य समस्त ऑफर्स में पैट की दोनों किस्मों (प्लेन एवं मसाला) की मदिरा की दरों के न्यूनतम भारित औसत (Minimum Weighted Average) वाले ऑफर की दोनों दरों (प्लेन एवं मसाला) को संबंधित पैट की मदों हेतु EDP माना जाएगा।

(II) इसी प्रकार कांच हेतु भी समस्त जिलों में प्राप्त एवं मान्य समस्त ऑफर्स में दोनो किस्मों (प्लेन एवं मसाला) की मदिरा की दरों के न्यूनतम भारित औसत (Minimum Weighted Average) वाले ऑफर की दोनों दरों (प्लेन एवं मसाला) को संबंधित कांच की मदों हेतु EDP माना जाएगा।

6.2. देशी मदिरा 90 एम.एल. धारिता की समस्त तेजी हेतु EDP निर्धारण :-

(I) समस्त निविदादाताओं द्वारा 90 एम.एल. की धारिता के लिए प्रस्तुत कमी प्रतिशत के ऑफरों में से, **अधिकतम कमी प्रतिशत** के ऑफर को सम्बंधित 180 एम.एल. पैट की समस्त तेजी (25 UP एवं 50 UP) की उक्तानुसार प्रदेश की परिगणित EDP पर लागू कर, आगामी 1 रूपए के गुणांक में 90 एम.एल. की समस्त तेजी (25 UP एवं 50 UP) की मदिरा की EDP की गणना की जायेगी ।

उदाहरण : यदि कण्डिका क्रमांक 6.1 अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 180 ML हेतु निम्न EDP परिगणित होती है :-

मसाला (पैट)	**प्लेन (पैट)**	**कांच (मसाला)**	**कांच (प्लेन)**
710	605	820	715

समस्त ऑफर्स में से निम्न तालिका के कॉलम 2 अनुसार अधिकतम कमी प्रतिशत प्राप्त होते हैं, तो कॉलम 3 में उल्लेखित गणना अनुसार कॉलम 4 अनुसार EDP निर्धारित की जायेगी :-

मद	अधिकतम कमी प्रतिशत	गणना	EDP
1	2	3	4
Masala (25 UP), 90 ML (4.5 Bulk Litre) (% decrease from EDP of Respective Strength/Packaging, 180 ML)	26%	710x0.74	526
Plain (50 UP), 90 ML (4.5 Bulk Litre) (% decrease from EDP of Respective Strength, 180 ML)	26%	605x0.74	448

6.3. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) में समस्त तेजी का EDP निर्धारण

सफल निविदादाता/आसवक द्वारा एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) में प्रदायित मदिरा हेतु परिगणित एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) संबंधित तेजी की 180 एम.एल. पैट (PET) बोतल के लिए निर्धारित EDP के समतुल्य होगी।

6.4. एक से अधिक बार टेण्डर होने की स्थिति में EDP निर्धारण :-

(I) यदि जिलों के आवंटन हेतु एक से अधिक बार टेण्डर के चरण होते हैं एवं एक से अधिक ई-टेण्डर के चरणों में जिलों का आवंटन किया जाता है तो विभिन्न चरणों में प्राप्त EDP में से प्रत्येक मद की उच्चतम EDP को समस्त प्रदेश हेतु EDP निर्धारित किया जायेगा, यद्यपि किसी चरण में प्राप्त दरों को स्वीकृत नहीं किया जाकर किसी भी जिले का आवंटन नहीं किया जाता है, तो ऐसी दरों को EDP निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. निविदा की स्वीकृति :-

7.1. राज्य शासन द्वारा कण्डिका क्रमांक 6 अनुसार प्राप्त EDP को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा । शासन से EDP की दरों की स्वीकृति की स्थिति में ही जिलों के आवंटन की आगामी कार्यवाही की जाएगी ।

7.2. सुपर L-1, सुपर L-2 आदि का निर्धारण -

निविदादाताओं द्वारा विभिन्न जिलों में प्रस्तुत एवं मान्य समस्त दरों में से प्रत्येक निविदादाता द्वारा उसकी प्रस्तुत 180 एम.एल. धारिता की पैट की दोनों किस्मों (प्लेन एवं मसाला) की दरों में से न्यूनतम भारित औसत (Minimum Weighted Average) वाली दर को विचार में लिया जाएगा ।

सभी निविदादाताओं की उपरोक्त न्यूनतम भारित औसत (Minimum Weighted Average) वाली दरों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा, एवं उक्त सूची में सबसे कम दरों से शुरू कर निविदादाताओं को क्रमश: सुपर L-1, सुपर L-2, सुपर L-3 आदि निर्धारित किया जायेगा ।

एक से अधिक निविदादाताओं की पैट में उक्त न्यूनतम भारित औसत दरों में समानता पाये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मान्य दरों में से 180 एम.एल. धारिता की कांच की दोनो किस्मों (मसाला एवं प्लेन) की मदिरा की दरों के न्यूनतम भारित औसत (Minimum Weighted Average) वाले ऑफर को विचार में लिया जाकर, इनमें से न्यूनतम दर वाले निविदादाता को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा ।

एक से अधिक निविदादाताओं की कांच में भी उक्त भारित औसत में समानता पाये जाने पर इन निविदादाताओं की न्यूनतम भारित औसत (Minimum Weighted Average) वाली दरों में से पैट प्लेन, पैट मसाला, कांच प्लेन, कांच मसाला के क्रम में प्रस्तुत दरों की तुलना कर, न्यूनतम दर वाले निविदादाता को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

एक से अधिक निविदादाताओं में उपरोक्तानुसार भी समानता पाये जाने पर लॉटरी द्वारा निविदादाता का चयन किया जाकर, निविदादाता को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा ।

7.3. सुपर L-1 को प्रदाय की अनिवार्यता

जो निविदादाता प्रदेश में सुपर L-1 निर्धारित होगा, उसे उसकी प्रदाय क्षमता के 125 प्रतिशत या 2 करोड़ प्रूफ.ली. (जो भी कम हो) की सीमा तक, उन जिलों में कण्डिका क्रमांक 6 अनुसार परिगणित EDP पर प्रदाय करना अनिवार्य होगा, जिन जिलों में वह L-1 निर्धारित हुआ है, भले ही आंशिक मदों में निर्धारित EDP का ऑफर उसके द्वारा प्रस्तुत न किया गया हो ।

7.4. जिलों में सुपर L-1 की दरें समान होने पर वरीयता

यदि सुपर L-1 निविदादाता, उसकी प्रदाय क्षमता का 125 प्रतिशत या 2 करोड़ प्रूफ लीटर में जो भी कम हो, से अधिक जिलो (क्षेत्रों) हेतु L-1 निर्धारित होता है तो निविदादाता को उसके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरों (पैट के भारित औसत) के बढते क्रम के आधार पर तब तक जिलों(क्षेत्रों) का आवंटन किया जायेगा जब तक उसकी प्रदाय क्षमता का 125 प्रतिशत या 2 करोड़ प्रूफ लीटर में जो भी कम हो, पूर्ण नहीं हो जाता है।

आवंटन के इस क्रम में यदि जिलों(क्षेत्रों) में न्यूनतम दरें (पैट के भारित औसत) एक समान प्राप्त होने पर एवं निर्धारित आवंटन क्षमता के बंधन के कारण इन जिलों में से किसी जिले/जिलों को आवंटन में से हटाने की स्थिति निर्मित होने पर, निविदादाता द्वारा जिले में प्रस्तुत कांच की दोनो किस्मों(मसाला एवं प्लेन) की दरों के भारित औसत को विचार में लिया जाकर, इनमें से न्यूनतम दर वाले जिले/जिलों को आवंटन में वरीयता दी जाएगी ।

उक्त जिलों में निविदादाता की कांच में भी उक्त भारित औसत में समानता पाये जाने पर, निविदादाता की पैट प्लेन, पैट मसाला, कांच प्लेन, कांच मसाला के क्रम में प्रस्तुत दरों के तुलना कर, न्यूनतम दर वाले जिले/जिलों को आवंटन में वरीयता दी जाएगी ।

उक्तानुसार समस्त दरें समान होने की स्थिति में, आबकारी आयुक्त द्वारा भौगोलिक निरंतरता के आधार पर जिलों का चयन कर आवंटन किया जाएगा । इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी स्थिति में एक जिले (क्षेत्र) को दो भागों में नहीं बॉटा जाएगा ।

7.5. अन्य निविदादाताओं से निर्धारित EDP पर प्रदाय की सहमति

शेष जिलों के आवंटन हेतु सुपर L-1 से अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं से कण्डिका क्रमांक 6 अनुसार परिगणित समस्त मदों में परिगणित EDP पर मदिरा प्रदाय एवं जिला आवंटन की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

निविदादाता को जिले के चयन का विकल्प नहीं दिया जायेगा एवं आंशिक मदों हेतु भी सहमति मान्य नहीं की जायेगी, ऐसी स्थिति में इसे निविदादाता की असहमति मानते हुए, निविदादाताओं को आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

निविदादाता की सहमति प्राप्त होने पर ही निविदादाता को जिलों के आवंटन हेतु पात्र माना जाएगा एवं निर्धारित प्रावधान अनुसार जिलों का आवंटन किया जायेगा।

7.6. सुपर L-1 से अन्य निविदादाताओं को आवंटन

उक्तानुसार सुपर L-1 निविदादाता को जिलों के आवंटन उपरांत, सुपर L-2 निविदादाता को उसकी प्रदाय क्षमता के 125 प्रतिशत या 2 करोड़ प्रूफ.ली. (जो भी कम हो) की सीमा तक वह जिले कण्डिका क्रमांक 6 अनुसार परिगणित EDP पर आवंटित किये जायेंगे, जिन जिलों में वह L-1 निर्धारित हुआ है।

सुपर L-2 निविदादाता उसकी प्रदाय क्षमता के 125 प्रतिशत या 2 करोड़ प्रूफ.ली. (जो भी कम हो) से अधिक में L-1 निधारित होने पर कण्डिका क्रमांक 7.4 अनुसार जिलों का चयन किया जाएगा ।

उक्त प्रक्रिया इसी क्रम में जिलों में निर्धारित L-1 ऑफर के सन्दर्भ में सुपर L-3, सुपर L-4 आदि हेतु भी जारी रहेगी ।

7.7. L-2, L-3, L-4 आदि को आवंटन

उक्तानुसार जिलों के L-1 के आधार पर आवंटन उपरांत शेष रहे जिलों हेतु जिले के निर्धारित L-2 हेतु भी उक्तानुसार सुपर L-1, सुपर L-2, के क्रम से आवंटन प्रक्रिया जारी रहेगी । तदउपरांत आवश्यकतानुसार यह कार्यवाही जिलों के L-3, L-4 आदि हेतु भी सुपर L-1, सुपर L-2 आदि के क्रम से जारी रहेगी ।

7.8. यदि कोई निविदादाता निर्धारित EDP पर मदिरा प्रदाय की सहमति प्रदान करने के उपरांत, जिलों के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान अथवा आवंटन के उपरांत, आवंटित जिलों में मदिरा प्रदाय करने से इनकार करता है, तो उसकी कण्डिका क्रमांक 4.2 अनुसार जमा सम्पूर्ण अर्नेस्ट मनी की राशि जप्त की जाकर, छोड़े हुए जिले निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अन्य निविदादाताओं को आवंटित किये जायेंगे । छोड़े हुए जिले की मदिरा प्रदाय मात्रा को भी निविदादाता को आवंटन हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा से कम किया जाएगा ।

7.9. सुपर L-1 को अतिरिक्त आवंटन :

उक्त वर्णित प्रकिया पूर्ण होने पर भी आवंटन से शेष जिलों में उन जिलों के आवंटन का ऑफर पुनः सुपर L-1 को दिया जायेगा, जिनमे :

1/ सुपर L-1 द्वारा दरें प्रस्तुत की गई हों,

2/ सुपर L-1 द्वारा प्रस्तुत दरें (पैट के मसाला एवं प्लेन का भारित औसत) उस जिले के प्रथम चयनित निविदादाता (L-1) द्वारा प्रस्तुत दरें (पैट के मसाला एवं प्लेन का भारित औसत) से 30 प्रतिशत से अधिक न हों ।

सुपर L-1 द्वारा पूर्व में आवंटित जिलों के अतिरिक्त, जिलों का चयन किया जा सकेगा । यहाँ सुपर L-1 पर आवंटन हेतु 2 करोड़ प्रूफ.ली. (जो भी कम हो) की सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा, बल्कि सुपर L-1 को उसकी वार्षिक प्रदाय क्षमता में से उसे पूर्व आवंटित प्रदाय क्षेत्र की मात्रा घटाकर शेष बची प्रदाय क्षमता के 50 प्रतिशत तक जिलों का आवंटन किया जा सकेगा। किन्तु पूर्व में किया आवंटन एवं इस प्रकार किया गया अतिरिक्त आवंटन उसकी वार्षिक प्रदाय क्षमता के 125 प्रतिशत अधिक नहीं होगा ।

7.10. उक्त प्रक्रिया उपरांत भी आवंटन से जिले शेष रह जाने पर, शेष जिलों के लिए निविदादाता के चयन हेतु पुन: निविदा की कार्यवाही की जावेगी ।

8. सफल निविदाकार को आवंटित दर से प्रदेश की EDP भिन्न होने पर अंतर की राशि का शासन को भुगतान

(I) कण्डिका क्रमांक 6 के तहत प्रत्येक किस्म की मद हेतु संपूर्ण प्रदेश के लिए निर्धारित EDP का भुगतान फुटकर मदिरा दुकान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सफल निविदाकार को किया जाएगा।

(II) यदि सफल निविदाकार को उक्त मद हेतु स्वीकृत दर उक्त मद की कण्डिका क्रमांक 6 के तहत निर्धारित EDP से कम है तो अंतर की राशि सफल निविदादाता द्वारा राजस्व शीर्ष-0039-00-800-0761 में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा कराई जाएगी।

9. अधिकतम एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण :-

आबकारी आयुक्त द्वारा पूरे प्रदेश के लिए देशी मदिरा की कांच, पैट एवं एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) हेतु अनुमत समस्त तेजी एवं धरिताओं हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण कण्डिका क्रमांक 6 के तहत समस्त प्रदेश हेतु निर्धारित EDP के आधार पर किया जाएगा।

10. सुरक्षा राशि :-

10.1. सफल निविदादाता को आवंटित क्षेत्रों (जिलों) के लिये **संलग्नक-III** में अंकित अनुसार कुल सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। निविदादाता द्वारा जिलेवार अथवा कुल सुरक्षा राशि हेतु समेकित एक ई-बैंक गारंटी (eBG) या नगद साईबर ट्रेजरी के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी, किन्तु कुल सुरक्षा राशि समेकित रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता को यह सहमति देनी होगी कि किसी एक जिले हेतु भी सुरक्षा राशि से वसूली की स्थिति निर्मित होने पर समेकित ई-बैंक गारंटी (eBG) को भी तोड़ा(Invoke) जा सकेगा ।

ई-बैंक गारंटी (eBG) आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के पक्ष में ग्वालियर में देय (UIN नंबर :-NCMGP2352A) एवं दिनांक 30-06-2027 तक वैध किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक के द्वारा जारी ई-बैंक गारंटी (eBG) या नगद साईबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा करायी जा सकती है। eBG का सत्यापन सम्बंधित जारीकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान से कराया जाकर ही मान्य किया जाएगा।

किसी अनुमत बैंक का नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड (NESL) में पंजीकृत न होना या अन्य किसी कारण से ई-बैंक गारंटी(e-BG) प्रदाय करने में सक्षम न होना उस बैंक की भौतिक बैंक गारंटी मान्य किये जाने का आधार नहीं होगी।

10.2. सुरक्षा राशि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों के पूर्ण होने के एवज में रखी जाएगी ।

11. देशी मदिरा प्रदाय की मात्रा :-

11.1. अनुबंध अवधि वर्ष 2026-27 के आवंटन हेतु जिले में गत 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में से न्यूनतम एवं अधिकतम खपत वाले वर्ष को हटाकर शेष 3 वर्षों में किये गए औसत खपत से वार्षिक आपूर्ति की मात्रा परिगणित/आंकलित की जायेगी ।

वर्ष 2026-27 में देशी मदिरा प्रदाय की वास्तविक मात्रा उक्त परिगणित/आंकलित आपूर्ति मात्रा से कम/अधिक हो सकती है। सफल निविदादाता के लिए यह बाध्यकारी है कि वह भाण्डागारों से देशी मदिरा की आवश्यकतानुसार पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करें ।

11.2. वर्ष 2026-27 की अवधि में निविदादाता को आवंटित जिले/क्षेत्र में मदिरा दुकानें बंद होने अथवा किसी अन्य कारण से खपत में अप्रत्याशित कमी होने से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

11.3. उक्तानुसार जिलेवार देशी मदिरा की परिगणित/आंकलित मात्रा निम्न तालिका अनुसार हैः-

क्रमांक	**जिला (आपूर्ति क्षेत्र का नाम)**	**वर्ष 2026-27 में जिलों/क्षेत्रों के आवंटन हेतु वार्षिक आपूर्ति की परिगणित/आंकलित मात्रा (लाख प्रुफ लीटर में)**
1	AGAR MALWA	12.51
2	ALIRAJPUR	1.29
3	ANUPPUR	1.82
4	ASHOK NAGAR	13.65
5	BALAGHAT	25.45
6	BARWANI	12.67
7	BETUL	13.07
8	BHIND	24.79
9	BHOPAL	58.42
10	BURHANPUR	12.26
11	CHHATARPUR	29.05
12	CHHINDWARA	27.23
13	DAMOH	38.05

14	DATIA	12.64
15	DEWAS	36.81
16	DHAR	19.96
17	DINDORI	1.40
18	GUNA	18.36
19	GWALIOR	66.98
20	HARDA	10.88
21	NARMADAPURAM	28.94
22	INDORE	114.60
23	JABALPUR	99.08
24	JHABUA	2.46
25	KATNI	45.95
26	KHANDWA	24.17
27	KHARGONE	31.92
28	MANDLA	4.52
29	MANDSAUR	33.90
30	MORENA	30.97
31	NARSINGHPUR	26.59
32	NEEMUCH	17.58
33	NIWARI	6.36
34	PANNA	11.45
35	RAISEN	29.11
36	RAJGARH	27.68
37	RATLAM	32.51
38	REWA	31.49
39	SAGAR	45.95
40	SATNA	24.00
41	SEHORE	32.07
42	SEONI	21.69
43	SHAHDOL	4.93
44	SHAJAPUR	21.60
45	SHEOPUR	10.64
46	SHIVPURI	44.50
47	SIDHI	15.75
48	SINGRAULI	14.83
49	TIKAMGARH	23.51
50	UJJAIN	71.49
51	UMARIA	4.83
52	VIDISHA	30.31
53	PANDURNA	7.27
54	MAIHAR	5.33
55	MAUGANJ	6.37
	कुल योग	**1,421.63**

नोट - मद्य भाण्डागारों की सूची संलग्नक-IV में दी गई है ।

12. सफल निविदादाता हेतु शर्तें एवं प्रतिबन्ध :--

12.1. अनुज्ञप्ति का विक्रय, बंधक, स्थानांतरण या उप-लीज न किया जाना

सफल निविदादाता सी.एस.1 एवं/अथवा सी.एस.1-बी में अपनी अनुज्ञप्ति का विक्रय, बंधक, स्थानांतरण या उप-लीज वितरण, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा । यदि इस आशय की अनुमति प्राप्त की गई है तो उसे अनुज्ञप्ति पर दर्ज किया जाएगा ।

12.2. स्पिरिट/ई.एन.ए. एवं देशी मदिरा की आपूर्ति

सफल निविदादाता परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. का परिवहन अपनी आसवनी से बॉटलिंग संयंत्र में करेगा एवं **संलग्नक-IV** में सूचीबद्ध मद्य भाण्डागारों से देशी मदिरा की आपूर्ति उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों/जिलों में करेगा। देशी मदिरा का विनिर्माण एवं बॉटलिंग, निविदादाता की बॉटलिंग इकाई/इकाईयों में की जाएगी, जो कि प्राथमिकता के साथ (Preferably) आसवनी परिसर में एवं/अथवा मध्यप्रदेश में कहीं भी अवस्थित होगी।

सफल निविदादाता उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों/जिलों के मद्य भाण्ड़ागारों से जिले/जिलों (क्षेत्र/क्षेत्रों) के फुटकर लाइसेंसियों को मानक अनुसार परिशोधित स्प्रिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के उपयोग से निर्मित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु आवश्यक प्रबंध करेगा।

आसवनी द्वारा स्वयं के आवंटित प्रदाय क्षेत्रों/जिलों में प्रदाय हेतु बॉटलिंग इकाई अनुमत्य की जा सकेगी एवं आसवनी द्वारा राज्य के भीतर स्थित स्वयं की देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में स्पिरिट (आर.एस./ई.एन.ए) के परिवहन पर परिवहन शुल्क देय नहीं होगा ।

12.3. मदिरा की धारिता

सफल निविदादाता द्वारा देशी मदिरा को 180 मिलीलीटर क्षमता की काँच तथा पैट बोतलों में तथा 90 मिलीलीटर क्षमता की सिर्फ पैट में प्रदाय किया जाएगा। एक पेटी में 180 मिलीलीटर एवं 90 मिलीलीटर की 50 बोतलें पैक की जाएगी।

निविदादाता द्वारा आवंटित प्रदाय क्षेत्रों/जिलों में एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) का प्रदाय 180 मिलीलीटर धारिता में किया जा सकेगा ।

सफल निविदादाता को देशी मदिरा की आपूर्ति फुटकर लायसेंसी की माँग के अनुसार धारिता एवं पैकेजिंग में करनी होगी, मांग का निर्धारण ई-आबकारी पोर्टल पर प्रस्तुत डिमांड के आधार पर किया जाएगा ।

12.4. पैकेजिंग की गुणवत्ता

सफल निविदादाता द्वारा उपयोग की जाने वाली देशी मदिरा की बोतलें, लेबिल एवं बोतल के ढक्कन ऐसी अच्छी गुणवत्ता, मानक स्वरूप एवं विशिष्टताओं (Specifications) वाले होने चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

सफल निविदादाता गोल/सपाट आकार की पैट (PET) बोतलों का उपयोग कर सकते हैं किन्तु काँच की बोतलें सिर्फ आकार में गोल होंगी । पैट बोतल गंधहीन (Odorless), स्वच्छ (Clean) एवं रंगहीन (Colourless) होनी चाहिये। यह शत प्रतिशत फूडग्रेड गुणवत्ता वाली होनी चाहिए ताकि मदिरा की गुणवत्ता में गिरावट (Deterioration) न हो। बोतल चमक (Flash), बुलबुलों **(**Bubbles) व खरोंचों (Scratches) से मुक्त पारदर्शी (Transparent) होनी चाहिए। पैट बोतलों पर इसकी क्षमता को दर्शाया हुआ होना चाहिए। बोतल अच्छी गुणवत्ता की एवं स्वचालित तकनीक से निर्मित (Automatically Manufactured) होनी चाहिए। पुरानी एवं उपयोग की गई पैट (PET) बोतलों का बॉटलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

देशी मदिरा को केवल तीन तह की मजबूत लहरदार पेटियों (3 Ply strong Corrugated Boxes) में प्रदाय करना होगा।

12.5. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) के Specification/दिशा निर्देश

I. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) छः स्तरीय होगी।

II. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) में ढक्कन नहीं होगा, इसे फाड़(cut) कर खोला जाना होगा।

III. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) पर उसमे भरी हुई मदिरा की मात्रा के उल्लेख के साथ-साथ पैक के बजन का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

IV. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) में प्रदाय की गई की मदिरा की वैधता अवधि बॉटलिंग दिनांक से 9 माह तक की ही होगी, इसका उल्लेख पैक पर अनिवार्यतः अंकित किया जाना होगा।

V. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) की गुणवत्ता एवं उसमे मदिरा भरे जाने हेतु उपयुक्तता के सन्दर्भ में Central Food Technology Research Institute (CFTRI) Mysore अथवा Industrial Toxicology Research Center, Lucknow अथवा Indian Institute of Packaging New Delhi का अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

VI. एसेप्टिक पैकेजिंग (टैट्रा पैक इत्यादि) में पैक मदिरा की तेजी के आधार पर पैक के प्रथक प्रथक रंग होंगे, जिसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

VII. उक्त Specification एवं दिशानिर्देशों में आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्धन किये जा सकेंगे।

12.6. देशी मदिरा का विनिर्माण

देशी मदिरा का विनिर्माण, परिशोधित स्पिरिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए उसे न्यूनीकृत (Reducing) सम्मिश्रित (Blending), सुगंधीकृत (Essencing), रंगीकृत (Colouring), स्वाद (Flavouring), परिपक्व (Maturing), बोतलबंद (Bottling) लेबल लगाकर (Labeling), सीलिंग (Sealing) इत्यादि कार्यों के साथ किया जाएगा ।

उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए परिशोधित स्पिरिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को देशी मदिरा में परिवर्तित किया जाएगा। वह केवल स्वच्छ व पीने योग्य (Hygienic and Potable) बोतल बंद देशी मदिरा को फुटकर अनुज्ञप्तधारियों को बेचेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वह मानव उपभोग हेतु उपयुक्त हो।

12.7. गंध एवं जायका (Essence and flavouring)

सफल निविदादाता मसाला एवं प्लेन देशी मदिरा की आपूर्ति सीलबंद बोतलों में करेगा। देशी मदिरा मसाला (25 डिग्री यू.पी.) "कैरेमल" एवं प्लेन (50 डिग्री यू.पी.) मदिरा "रंगहीन" होगी।

मसाला मदिरा हेतु विभिन्न जायकों यथा नीबू, संतरा, सौंफ आदि में भी कर सकता है परन्तु महुआ के गंध एवं जायके (Essence and flavour) के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

12.8. MSP-MRP का मुद्रण

सफल निविदादाता को प्रत्येक प्रकार एवं आकार की बोतलों के लेबिल्स पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार घोषित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) एवं अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) मुद्रित करने होंगे।

12.9. Excise Adhesive Label (EAL)

सफल निविदादाता को प्रत्येक आकार की देशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार Excise Adhesive Label (EAL) स्वचालित एप्लीकेटर के द्वारा चस्पा करना होगा। बोतलों पर लेबल एवं Excise Adhesive Label (EAL) इस प्रकार चस्पा किए जाने होंगे कि बोतलों की हैंडलिंग के दौरान उन पर चस्पा लेबल एवं Excise Adhesive Label (EAL) निकल न जायें।

सफल निविदादाता को Excise Adhesive Label (EAL) आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दरों पर भोपाल स्थित ExciseAdhesive Label (EAL) भण्डारण इकाई से प्राप्त करने होंगे। सफल निविदादाता द्वारा Excise Adhesive Label (EAL) की कीमत एवं परिवहन व्यय के अतिरिक्त प्रति Excise Adhesive Label (EAL) 1 (एक) पैसा संधारण शुल्क का भुगतान शासन को किया जायेगा।

12.10. ट्रेक एवं ट्रेस व्यवस्था

वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग द्वारा देशी मदिरा की बोतलों के ट्रेस एवं ट्रेक की व्यवस्था लागू किये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता/आसवक द्वारा ट्रेस एवं ट्रेक व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु, उपयुक्त क्षमता के स्कैनर स्थापित करना एवं अन्य व्यवस्था किया जाना बंधनकारी होगा। इसके लिये सफल निविदादाता/आसवक को किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

12.11. देशी मदिरा की गुणवत्ता

(I) सफल निविदादाता को एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक की नियुक्ति करनी होगी जो निविदादाता/आसवक के साथ-साथ स्वयं भी देशी मदिरा की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होगा।

(II) देशी मदिरा के विनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी की जाँच माह में एक बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) से करानी होगी।सफल निविदादाता/आसवक द्वारा उपयोग में लाये जा रहे रंग (Colour) एवं सुगंधकारक पदार्थ (Essence) की गुणवत्ता खाद्य श्रेणी (Food grade quality) की होनी चाहिये। सफल निविदादाता को इनके प्रत्येक लॉट (Lot) को बॉटलिंग संयत्र में लाते समय इन सामग्रियों के निर्माताओं द्वारा जारी किया गया गुणवत्ता प्रमाण पत्र (Quality certificate) प्रस्तुत करना होगा ।

(III) सफल निविदादाता द्वारा प्रत्येक न्यूनीकरण (Reduction) से संबधित तीन सेम्पल एकत्रित करके तीन माह के लिए संरक्षित किया जाएगा ताकि देशी मदिरा की गुणवत्ता के बारे में किसी भी शिकायत की जाँच के मामले में इनका परीक्षण किया जा सके। तीन माह उपरांत सेम्पल का आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रावधानित व्यवस्था अनुसार निराकरण किया जा सकेगा ।

(IV) सफल निविदादाता द्वारा देशी मदिरा के निर्माण के समय खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) तथा भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मापदंडों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाएगा ।

(V) सफल निविदादाता द्वारा देशी मदिरा के उत्पादन हेतु प्रयोग की जाने वाली परिशोधित स्प्रिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की शक्ति/सांद्रता 66 डिग्री Overproof से कम नहीं होगी ।

(VI) सफल निविदादाता को निर्माण बॉटलिंग संयत्र में मदिरा और पानी के स्थानांतरण के लिए उपर्युक्त जी.आई. पाईप लाइन का इस्तेमाल करना होगा। मदिरा के स्थानांतरण के लिए रबर के पाइप के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। मदिरा का मैन्युली (Manually) स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा।

12.12. बॉटलिंग इकाइयों हेतु मानक

(I) सफल निविदादाता द्वारा बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में कार्य हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के बाद ही जाएगी एवं अपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(II) सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में अग्नि सुरक्षा, सफाई और स्वच्छता के समुचित प्रबंध करने होंगे।

(III) सफल निविदादाता को देशी मदिरा और परिशोधित स्प्रिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की माप के लिए, एक फ्लोमीटर, जिसकी न्यूनतम माप 01 लीटर से अधिक न हो, बॉटलिंग संयत्र के प्रत्येक वैट (VAT) में स्थापित करना होगा। सफल निविदादाता के देशी मदिरा बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागारों में निर्धारित मानक के अनुसार समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(IV) सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र एवं भाण्डागार पर स्वयं के व्यय पर प्रतिष्ठित कंपनी का एक इलेक्ट्रॉनिक एल्कोहोल मीटर उपलब्ध कराना होगा।

(V) सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र पर स्वयं के व्यय पर प्रतिष्ठित कंपनी की एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन लगवानी/स्थापित करनी होगी जो कि नाप-तौल विभाग द्वारा अनुमोदित हो। इसकी क्षमता एक बार में न्यूनतम 10 पेटी वजन करने योग्य होनी चाहिए।

12.13. देशी मदिरा भाण्डागार सम्बन्धी

(I) सफल निविदादाता को विभागीय/शासकीय मद्य भाण्डागार का किराया लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर भुगतान करना होगा। इसमें किसी तरह की चूक होने पर किराये की वसूली निविदादाता/आसवक से की जाएगी। यदि शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो सफल निविदादाता को मद्य भाण्डागार भवन हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(II) सफल निविदादाता को मदिरा के काँच/पैट बोतल की प्रत्येक पेटी का कुल वजन घोषित करना होगा एवं यह अनिवार्य रुप से पेटी के गत्ते पर मुद्रित/चस्पा (Print/Affix) करना होगा। संदेह की स्थिति में, मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा के मद्य भाण्डागार पर देशी मदिरा की पेटी/पेटियों को तौल कर, उस पर अंकित वजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा।

(III) सफल निविदादाता को देशी मदिरा के प्रत्येक भाण्डागार पर स्वयं के व्यय पर प्रतिष्ठित कंपनी का एक इलेक्ट्रॉनिक एल्कोहोल मीटर उपलब्ध कराना होगा।

(IV) सफल निविदादाता को देशी मदिरा के भाण्डागारों पर लीज लाइन या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(V) सफल निविदादाता को देशी मदिरा के भाण्डागारों को लॉक/अनलॉक किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार Biometric e-Lock उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, e-Lock के डेटा का एक्सेस प्रदान करने हेतु यूजर क्रेडेंशियल सम्बंधित प्रभारी अधिकारी, जिला अधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा ।

(VI) सफल निविदादाता को प्रत्येक भाण्डागार पर स्वयं के व्यय पर प्रतिष्ठित कंपनी की एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन लगवानी/स्थापित करनी होगी जो कि नाप-तौल विभाग द्वारा अनुमोदित हो। इसकी क्षमता एक बार में न्यूनतम 10 पेटी वजन करने योग्य होनी चाहिए।

12.14. लेबल का पंजीयन

(I) सफल निविदादाता द्वारा प्रदाय की रही प्रत्येक प्रकार की मदिरा/धारिता /पैकेजिंग के लेबल मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 3-च के तहत अनिवार्यतः पंजीकृत होने चाहिए ।

(II) सफल निविदादाता को प्रत्येक प्रकार की देशी मदिरा की बोतल के लेबल/पेटी पर संबधित आपूर्ति जिले (आपूर्ति क्षेत्र) का नाम मुद्रित करना होगा।

12.15. मदिरा दुकानों का विभागीय संचालन

आबकारी विभाग द्वारा संचालित दुकानों पर विक्रय होने वाली देशी मदिरा की आपूर्ति भी सफल निविदादाता को उपरोक्त शर्तों एवं निर्बंधनो पर ही करनी होगी।

12.16. स्पिरिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का निर्यात

सफल निविदादाता को आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही परिशोधित स्पिरिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल या देशी मदिरा का राज्य के बाहर निर्यात करने की अनुमति होगी। सफल निविदादाता को यह अनुमति तभी दी जाएगी जब इस निर्यात से राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति की निरन्तरता बाधित न हो एवं मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 में वर्णित अनुसार परिशोधित स्पिरिट और बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध उनके द्वारा यथावत बनाये रखा जाए।

12.17. देशी मदिरा भाण्डागार पर वर्षान्त में अवशेष देशी मदिरा स्कंध का निराकरण

(I) बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी, प्रदाय अनुबंध अवधि की समाप्ति उपरांत उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के देशी मदिरा भाण्डागारों पर अवशेष अविक्रित मदिरा स्कंध को आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की अनुमति के अधीन, स्वंय के उत्तरदायित्व पर अपनी इकाई परिसर में वापिस ले जा सकेगा।

(II) अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी यदि बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी से उसे आवंटित आपूर्ति क्षेत्र/जिले के भाण्डागारों में अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत अवशेष अविक्रीत मदिरा स्कंध, क्रय करता है तो, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी

को स्वीकृत प्रदाय दर, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से कम होने पर, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से ही भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(III) अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी यदि बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी से, उसे आवंटित आपूर्ति क्षेत्र/जिले के भाण्डागारों में अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत अवशेष अविक्रित मदिरा स्कंध, क्रय करता है तो, अंतर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर, बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से अधिक होने पर उसके द्वारा बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी को पुरानी दरों से भुगतान किया जायेगा तथा अंतर की राशि, राजस्व शीर्ष में जमा करना अनिवार्य होगी।

(IV) अंतर्गामी तथा बहिर्गामी अनुज्ञप्तिधारी के बीच स्कंध के अंतरण या भुगतान के संबंध में विवाद का निर्णय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उभयपक्ष पर बंधनकारी होगा।

13. आपूर्ति अनुबंध की असफलता एवं पुनर्निविदा :-

13.1. देशी मदिरा मद्यभाण्डागार पर न्यूनतम स्कंध

देशी मदिरा मद्यभाण्डागार में निर्धारित न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति अधिरोपण की प्रक्रिया प्रचलन में है। न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति की गणना, औसत स्कंध के आधार पर न करते हुए प्रदाय हेतु लंबित राशि/मांग एवं लंबित अवधि के आधार पर किये जाने की व्यवस्था ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से लागू रहेगी।

13.2. त्रुटिकर्ता (Defaulter) पर लागू प्रावधान

सफल निविदादाता को देशी मदिरा की आपूर्ति स्वयं के जोखिम एवं लागत पर सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी पक्ष में देशी मदिरा की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण फुटकर विक्रयकर्ताओं को मदिरा की आपूर्ति बाधित होती है, तो सफल निविदादाता को त्रुटिकर्ता (Defaulter) माना जाएगा । ऐसी त्रुटि एक बार से अधिक होने पर उसे आपूर्ति की सतत असफलता माना जाएगा और ऐसी प्रदाय असफलता की स्थिति में त्रुटिकर्ता (Defaulter) निविदादाता पर आबकारी आयुक्त द्वारा 10,000/- रूपए तक प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। सफल निविदादाता ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की छूट, प्रतिकर या किसी अन्य दावे का हकदार नहीं होगा।

किसी जिले/क्षेत्र में आपूर्ति के सतत असफल होने पर या अन्य आकस्मिकता होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम उक्त जिला/क्षेत्र ऐसे D-1 अनुज्ञप्तिधारक को, त्रुटिकर्ता के लिए स्वीकृत दरों पर ही आवंटित/संलग्न किया जा सकेगा, जो उस निविदा में L-2 रहा हो एवं उसकी आसवनी की प्रदाय **क्षमता** का 125 प्रतिशत या 2 करोड़ प्रूफ लीटर में जो भी कम हो, की सीमा पूर्ण नहीं हुई हो। L-2 निविदादाता द्वारा इंकार (असहमति) किये जाने अथवा सीमा समाप्त हो जाने की स्थिति में इसी शर्त के अधीन L-3, L-4 इत्यादि को आवंटन/संलग्नीकरण हेतु क्रमशः विचारण में लिया जाएगा। उक्त अधिकतम सीमा की गणना में आवंटित किये जाने वाले प्रदाय क्षेत्रों/जिलों के गत वर्ष की शेष अवधि के वास्तविक प्रदाय को आधार माना जायेगा ।

आकस्मिकता की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के उन डी-1 अनुज्ञप्तिधारकों को भी इस हेतु आदेशित किया जा सकेगा जिनकी प्रदाय की अधिकतम क्षमता समाप्त हो चुकी हो अथवा जिनके द्वारा उक्त निविदा प्रक्रिया में सहभागिता न की गई हो।

13.3. पुनर्निविदा

सफल निविदादाता द्वारा प्रदाय में निरंतर असफलता के कारण यदि पुनर्निविदा की स्थिति निर्मित होती है तो उस क्षेत्र के लिए त्रुटिकर्ता (Defaulter) आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर नवीन निविदाएँ आमंत्रित की जा सकती हैं। मूल्य में आए अंतर का वहन त्रुटिकर्ता (Defaulter) निविदादाता को करना होगा। उक्त घाटा, मुआवजा एवं अंतर की वसूली कण्डिका क्रमांक-10 में वर्णित जमा सुरक्षा राशि में से की जाएगी। उक्त के उपरांत भी शेष रहने की स्थिति में बकाया राशि निविदादाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

14. अनुबंध अवधि में शर्तो का प्रभावशील होना :-

14.1. सफल निविदादाता को अनुबंध अवधि के दौरान चुंगी (Levy), कच्ची सामग्री (Raw material) की कीमत, निर्यात, आयात शुल्क या किसी अन्य प्रकार के कराधान (Any other Taxation) में परिवर्तन के फलस्वरुप दरों में संशोधन हेतु माँग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.2. राज्य शासन को आवश्यकतानुसार एवं अनुबंध अवधि समाप्त होने की तिथि के समीप उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, वर्षांत के उपरांत अनुबंध को समान शर्तो एवं समान दरों पर आगामी 06 माहों के लिए प्रदाय जारी रखने हेतु आदेशित किया जा सकेगा, जिसे पुनः 6 माह तक बढाया जा सकेगा, जो कि सफल निविदादाता पर बंधनकारी होगा।

14.3. आपूर्ति लायसेंस की शर्ते एवं इन आपूर्तियों पर लागू नियम समय-समय पर राज्य सरकार के विवेकाधीन संशोधित किये जा सकते हैं।

15. निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह है कि उन्होंने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों, विशेषकर मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995, निविदा की समस्त शर्तो एवं सुसंगत प्रावधानों को पढ़ एवं समझ लिया है। निविदादाता पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915, सम्बन्धित नियम, निविदा की विस्तृत शर्ते, काँच/पैट की बोतलों की विशिष्टताऐं, निविदा प्रपत्र की विषय-वस्तु एवं वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति एवं व्यवस्था आदि कानूनी रुप से बाध्यकारी होंगी।

16. ये समस्त शर्ते एवं प्रतिबन्ध वर्ष 2026-27 के दौरान पुनः निविदा होने की स्थिति में भी लागू होंगे।

17. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य स्थिति में, औचित्य को समझते हुये किसी भी जिले या समस्त जिलों हेतु निविदा प्रक्रिया को रद्द किया जा सकेगा एवं आवंटन उपरांत भी सम्पूर्ण/आंशिक रुप से आवंटन समाप्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

18. किसी भी अपरिहार्य स्थिति या प्रदायकर्ता आसवक द्वारा अग्रवर्णित किसी कृत्य में संलिप्त पाये जाने की स्थिति में -

1) फुटकर मदिरा दुकान से मदिरा के विक्रय पर अस्वस्थ नियंत्रण किये जाने ;
2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित नियमों, पारित आदेशों का दुरूपयोग किये जाने ;
3) प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रामक, कपटपूर्ण या अस्वस्थ व्यावसायिक प्रथाओं, जिससे कि उपभोक्ताओं या प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने पर ;
4) ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किसी उत्पाद को कम कीमत पर विक्रय करना,
5) वास्तविक ब्राण्ड की मदिरा के बदले में कोई भिन्न, अधिक महंगा या घटिया उत्पाद बेचने पर ;
6) मोनोपोली (एकाधिकार) प्रवत्ति पाए जाने पर ;
7) अन्य लेखबद्ध किये गए कारणों से ;

आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर, प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आबकारी आयुक्त द्वारा सम्बंधित प्रदाय क्षेत्र/क्षेत्रों को लिखित आदेश से परिवर्तन किया जा सकेगा |

19. निविदा की शर्तों एवं निर्बन्धनों की व्याख्या में कोई अस्पष्टता/विवाद होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो के लिए बंधनकारी होगा।

20. सफल निविदादाता शासन द्वारा आरोपित कर, शुल्क एवं प्रभार, यदि हों, के भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे।

21. अनुबंध अवधि में दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से देशी मदिरा की मांग/खपत में अप्रत्याशित परिवर्तन होने पर निविदादाता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या छूट की पात्रता नहीं होगी।

22. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान, उनके अधीन निर्मित नियम, राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/आबकारी नीति, राज्य शासन तथा आबकारी आयुक्त के आदेश सफल निविदादाता पर बाध्यकारी होंगे।

Digitally signed by
Deepak Kumar Saxena
Date: 12-06-2026
15:58:15

(दीपक सक्सेना)

आबकारी आयुक्त

मध्यप्रदेश

(संलग्नक -अ)

टेक्नीकल बिड

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषय : वर्ष 2026-2027 हेतु देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था के सम्बन्ध में।

मेरे द्वारा निविदा-सूचना की कण्डिका क्रमांक 4.3 में दर्शाए अनुसार निम्नलिखित अभिलेख/तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है :-

1. निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को निविदादाता का कार्यशील आसवनी (डी-1) लायसेंस की प्रमाणित प्रति ।
2. संलग्नक-I अनुसार निर्धारित प्रारुप में आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित साख एवं अदेय प्रमाणपत्र ।
3. संलग्नक-II अनुसार नॉन-ज्युडीशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र कि,
   (i) निविदादाता पर दिनांक 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति में आबकारी विभाग की अधिरोपित/देय राशि, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में संपूर्ण जमा है।
   (ii) देशी मदिरा की आपूर्ति में विलंब या असफलता की स्थिति में राज्य सरकार एवं फुटकर ठेकेदारों को हुई वित्तीय हानि के हर्जाने एवं मुआवजे के भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
   (iii) मुझे प्रदाय क्षेत्र आवंटित होने एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस व्यवस्था को लागू होने की स्थिति में, मैं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्डो एवं समय सीमा में अपनी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई (सी.एस-1बी) में QR कोड हेतु उपयुक्त क्षमता का Scanner स्थापित कर आबकारी आयुक्त को सूचित करूँगा।
   (iv) शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य/जानकारी असत्य पाये जाने अथवा उसकी पूर्ति नहीं होने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा को अमान्य किये जाने एवं अर्नेस्टमनी राजसात किये जानें पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(आवेदक)
नाम एवं हस्ताक्षर
अधिकृत हस्तारकर्ता

(संलग्नक -ब)

फायनेंशियल बिड फॉर्मेट

निविदादाता को पोर्टल पर उपलब्ध Excel Sheet के निम्नानुसार प्रारूप में ही फायनेंशियल बिड प्रस्तुत करनी होगी। इसकी प्रत्येक सेल/फील्ड को भरा जाना तकनीकी रूप से अनिवार्य है, अतः निविदादाता जिन जिलों हेतु प्रदाय दरें प्रस्तुत नहीं करना चाहते है उसके समक्ष की समस्त सेल/फील्ड में 0 (Zero) अंकित करे ।

S.No.	Supply Area/Item	Quoted Rate	Quoted Rate (in words)
1	2	3	4
1	**AGAR MALWA**		
1.01	Masala Pet		
1.02	Plain Pet		
1.03	Masala Glass		
1.04	Plain Glass		
2	**ALIRAJPUR**		
2.01	Masala Pet		
2.02	Plain Pet		
2.03	Masala Glass		
2.04	Plain Glass		
3	**ANUPPUR**		
3.01	Masala Pet		
3.02	Plain Pet		
3.03	Masala Glass		
3.04	Plain Glass		
4	**ASHOK NAGAR**		
4.01	Masala Pet		
4.02	Plain Pet		
4.03	Masala Glass		
4.04	Plain Glass		
5	**BALAGHAT**		
5.01	Masala Pet		
5.02	Plain Pet		
5.03	Masala Glass		
5.04	Plain Glass		
6	**BARWANI**		
6.01	Masala Pet		
6.02	Plain Pet		
6.03	Masala Glass		
6.04	Plain Glass		
7	**BETUL**		
7.01	Masala Pet		

7.02	Plain Pet		
7.03	Masala Glass		
7.04	Plain Glass		
8	**BHIND**		
8.01	Masala Pet		
8.02	Plain Pet		
8.03	Masala Glass		
8.04	Plain Glass		
9	**BHOPAL**		
9.01	Masala Pet		
9.02	Plain Pet		
9.03	Masala Glass		
9.04	Plain Glass		
10	**BURHANPUR**		
10.01	Masala Pet		
10.02	Plain Pet		
10.03	Masala Glass		
10.04	Plain Glass		
11	**CHHATARPUR**		
11.01	Masala Pet		
11.02	Plain Pet		
11.03	Masala Glass		
11.04	Plain Glass		
12	**CHHINDWARA**		
12.01	Masala Pet		
12.02	Plain Pet		
12.03	Masala Glass		
12.04	Plain Glass		
13	**DAMOH**		
13.01	Masala Pet		
13.02	Plain Pet		
13.03	Masala Glass		
13.04	Plain Glass		
14	**DATIA**		
14.01	Masala Pet		
14.02	Plain Pet		
14.03	Masala Glass		
14.04	Plain Glass		
15	**DEWAS**		
15.01	Masala Pet		
15.02	Plain Pet		
15.03	Masala Glass		
15.04	Plain Glass		
16	**DHAR**		
16.01	Masala Pet		
16.02	Plain Pet		
16.03	Masala Glass		

16.04	Plain Glass		
17	**DINDORI**		
17.01	Masala Pet		
17.02	Plain Pet		
17.03	Masala Glass		
17.04	Plain Glass		
18	**KHANDWA**		
18.01	Masala Pet		
18.02	Plain Pet		
18.03	Masala Glass		
18.04	Plain Glass		
19	**GUNA**		
19.01	Masala Pet		
19.02	Plain Pet		
19.03	Masala Glass		
19.04	Plain Glass		
20	**GWALIOR**		
20.01	Masala Pet		
20.02	Plain Pet		
20.03	Masala Glass		
20.04	Plain Glass		
21	**HARDA**		
21.01	Masala Pet		
21.02	Plain Pet		
21.03	Masala Glass		
21.04	Plain Glass		
22	**NARMADPURAM**		
22.01	Masala Pet		
22.02	Plain Pet		
22.03	Masala Glass		
22.04	Plain Glass		
23	**INDORE**		
23.01	Masala Pet		
23.02	Plain Pet		
23.03	Masala Glass		
23.04	Plain Glass		
24	**JABALPUR**		
24.01	Masala Pet		
24.02	Plain Pet		
24.03	Masala Glass		
24.04	Plain Glass		
25	**JHABUA**		
25.01	Masala Pet		
25.02	Plain Pet		
25.03	Masala Glass		
25.04	Plain Glass		
26	**KATNI**		

26.01	Masala Pet		
26.02	Plain Pet		
26.03	Masala Glass		
26.04	Plain Glass		
27	**MANDLA**		
27.01	Masala Pet		
27.02	Plain Pet		
27.03	Masala Glass		
27.04	Plain Glass		
28	**MANDSAUR**		
28.01	Masala Pet		
28.02	Plain Pet		
28.03	Masala Glass		
28.04	Plain Glass		
29	**MORENA**		
29.01	Masala Pet		
29.02	Plain Pet		
29.03	Masala Glass		
29.04	Plain Glass		
30	**NARSINGHPUR**		
30.01	Masala Pet		
30.02	Plain Pet		
30.03	Masala Glass		
30.04	Plain Glass		
31	**NEEMUCH**		
31.01	Masala Pet		
31.02	Plain Pet		
31.03	Masala Glass		
31.04	Plain Glass		
32	**NIWARI**		
32.01	Masala Pet		
32.02	Plain Pet		
32.03	Masala Glass		
32.04	Plain Glass		
33	**PANNA**		
33.01	Masala Pet		
33.02	Plain Pet		
33.03	Masala Glass		
33.04	Plain Glass		
34	**RAISEN**		
34.01	Masala Pet		
34.02	Plain Pet		
34.03	Masala Glass		
34.04	Plain Glass		
35	**RAJGARH**		
35.01	Masala Pet		
35.02	Plain Pet		

35.03	Masala Glass		
35.04	Plain Glass		
36	**RATLAM**		
36.01	Masala Pet		
36.02	Plain Pet		
36.03	Masala Glass		
36.04	Plain Glass		
37	**REWA**		
37.01	Masala Pet		
37.02	Plain Pet		
37.03	Masala Glass		
37.04	Plain Glass		
38	**SAGAR**		
38.01	Masala Pet		
38.02	Plain Pet		
38.03	Masala Glass		
38.04	Plain Glass		
39	**SATNA**		
39.01	Masala Pet		
39.02	Plain Pet		
39.03	Masala Glass		
39.04	Plain Glass		
40	**SEHORE**		
40.01	Masala Pet		
40.02	Plain Pet		
40.03	Masala Glass		
40.04	Plain Glass		
41	**SEONI**		
41.01	Masala Pet		
41.02	Plain Pet		
41.03	Masala Glass		
41.04	Plain Glass		
42	**SHAHDOL**		
42.01	Masala Pet		
42.02	Plain Pet		
42.03	Masala Glass		
42.04	Plain Glass		
43	**SHAJAPUR**		
43.01	Masala Pet		
43.02	Plain Pet		
43.03	Masala Glass		
43.04	Plain Glass		
44	**SHEOPUR**		
44.01	Masala Pet		
44.02	Plain Pet		
44.03	Masala Glass		
44.04	Plain Glass		

45	**SHIVPURI**		
45.01	Masala Pet		
45.02	Plain Pet		
45.03	Masala Glass		
45.04	Plain Glass		
46	**SIDHI**		
46.01	Masala Pet		
46.02	Plain Pet		
46.03	Masala Glass		
46.04	Plain Glass		
47	**SINGRAULI**		
47.01	Masala Pet		
47.02	Plain Pet		
47.03	Masala Glass		
47.04	Plain Glass		
48	**KHARGONE**		
48.01	Masala Pet		
48.02	Plain Pet		
48.03	Masala Glass		
48.04	Plain Glass		
49	**TIKAMGARH**		
49.01	Masala Pet		
49.02	Plain Pet		
49.03	Masala Glass		
49.04	Plain Glass		
50	**UJJAIN**		
50.01	Masala Pet		
50.02	Plain Pet		
50.03	Masala Glass		
50.04	Plain Glass		
51	**UMARIA**		
51.01	Masala Pet		
51.02	Plain Pet		
51.03	Masala Glass		
51.04	Plain Glass		
52	**VIDISHA**		
52.01	Masala Pet		
52.02	Plain Pet		
52.03	Masala Glass		
52.04	Plain Glass		
53	**MAUGANJ**		
53.01	Masala Pet		
53.02	Plain Pet		
53.03	Masala Glass		
53.04	Plain Glass		
54	**MAIHAR**		
54.01	Masala Pet		

54.02	Plain Pet		
54.03	Masala Glass		
54.04	Plain Glass		
55	**PANDHURNA**		
55.01	Masala Pet		
55.02	Plain Pet		
55.03	Masala Glass		
55.04	Plain Glass		
56	**For All Districts**	**Percentage (%)**	
56.01	**90 ML (4.5 Bulk Litre)** (% decrease from EDP of Respective Strength, Pet 180 ML)		

संलग्नक - I (साख एवं अदेय प्रमाणपत्र)

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी

भारसाधक अधिकारी .... आसवनी

(साख एवं अदेय प्रमाणपत्र)

मेसर्स .... के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) निविदादाता पर दिनांक 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति में आबकारी विभाग की अधिरोपित/देय राशि, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में संपूर्ण जमा है।

(ii) पीने योग्य मदिरा के उत्पादन एवं आपूर्ति के संबंध में इस इकाई का पिछला प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि में इकाई में स्पिरिट के उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	इकाई द्वारा वर्ष में किया गया स्पिरिट उत्पादन (लाख प्रूफ लीटर में)
2021-22	
2022-23	
2023-24	
2024-25	
2025-26	

नोट:-स्पिरिट उत्पादन से अभिप्रेत समस्त प्रयोजनों हेतु उत्पादित RS/ENA से है।

जिला आबकारी अधिकारी
......आसवनी

दिनांक ......
स्थान ......

टीप -

1. भारसाधक अधिकारी अपना पूरा नाम लिख कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करें।
2. यदि इकाई से कोई राशि वसूल की जाना है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्नक II

देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था हेतु शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम) .... आयु .... (पिता/पति का नाम) .... निवासी (पता).. शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :-

1. मैं मेसर्स...का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ, जिसकी आसवनी .... में स्थित है, जिसका लायसेंस क्रमांक .... है।

2. मैं शपथ-पत्र में प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों से पूर्णतः भिज्ञ हूँ तथा मेसर्स .... की ओर से इसे प्रस्तुत करने हेतु अधिकारग्रहीता हूँ।

3. मेरी कंपनी_______________________/उसके संचालकों, निदेशकों अथवा भागीदारों के विरुद्ध दिनांक 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति में आबकारी विभाग की कोई अधिरोपित अथवा देय राशि लंबित नहीं है अथवा ऐसी समस्त राशि निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में संपूर्ण जमा है।

4. देशी मदिरा की आपूर्ति में विलंब या असफलता की स्थिति में राज्य सरकार एवं फुटकर ठेकेदारों को हुई वित्तीय हानि के हर्जाने एवं मुआवजे के भुगतान का उत्तरदायित्व मेरा/मेरी कंपनी का होगा।

5. मै/मेरी कंपनी या उसके सेवकों में से कोई भी सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति द्वारा पद पर रहते हुये ऐसा कोई कृत्य नही किया गया है, जिसके कारण वह मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) एवं धारा 49 (क) के तहत दोषी रहा हो तथा उसे 01 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो ।

6. मै/मेरी कंपनी या उसके सेवकों में से कोई भी सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति द्वारा पद पर रहते हुये ऐसा कोई कृत्य नही किया गया है, जिसके कारण वह किसी प्रसंघेय तथा अजामनतीय अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो ।

7. मै/मेरी कंपनी या उसके सेवकों में से कोई भी सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या Trademarks Act, 1999 या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (क्रमांक 45 सन् 2023) की धाराओं 345 से 350, एवं 178 से 188 के अधीन या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिकसब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी नहीं रहा है और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।

8. मै/मेरी कंपनी या उसके सेवकों में से कोई भी सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के या राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, या डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1930 (क्रमाक 2 सन् 1930) के अधीन या इंडियन मर्चेण्डाइज मार्क्स एक्ट, 1889 (क्रमांक 4 सन् 1889) के अधीन या किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो उस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) में पुनः स्थापित की गई हो, किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाए, या

9. ट्रेक एण्ड ट्रेस व्यवस्था को लागू होने की स्थिति में, मैं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्डो एवं समय सीमा में अपनी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई (सी.एस-1बी) में QR कोड हेतु उपयुक्त क्षमता का Scanner स्थापित कर आबकारी आयुक्त को सूचित करूँगा।

10. शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्य या जानकारी असत्य पाए जाने अथवा उसकी पूर्ति न किए जाने पर मेरी तथा मेरी आसवनी/कंपनी की निविदा अमान्य किये जाने एवं अर्नेस्टमनी राजसात किये जाने पर मुझे अथवा मेरी आसवनी/कंपनी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11. मेरा मोबाइल नम्बर .... है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई-मेल एड्रेस .... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई-मेल के माध्यम से किया जा

सके। ई-मेल के माध्यम से मुझे प्राप्त सूचना विधिवत मेरी कंपनी को निर्वहित मानी जाएगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि प्रदाय अनुबंध अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल आबकारी आयुक्त कार्यालय में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करूंगा/करूंगी ।

स्थान............................. वास्ते ....

दिनांक .... (आसवनी का नाम)

हस्ताक्षर ....

(नाम)

अधिकृत प्रतिनिधि

सत्यापन लेख

मै, (नाम) .... (पिता/पति का नाम) श्री .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र के बिंदु (1) से बिंदु (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान............................. हस्ताक्षर...................

दिनांक ....

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत किया जावे ।

संलग्नक- III

जिलावार (आपूर्ति क्षेत्रवार) सुरक्षा राशि

वर्ष 2026-27 हेतु जिलों की परिगणित/आंकलित वार्षिक खपत में 5% वृद्धि कर संगणित ड्यूटी की 1% राशि

क्र.	जिले का नाम (आपूर्ति क्षेत्र)	सुरक्षा राशि (लाख रूपये में)
1	AGAR MALWA	50.56
2	ALIRAJPUR	5.23
3	ANUPPUR	7.35
4	ASHOK NAGAR	55.17
5	BALAGHAT	102.87
6	BARWANI	51.24
7	BETUL	52.84
8	BHIND	100.22
9	BHOPAL	236.16
10	BURHANPUR	49.57
11	CHHATARPUR	117.44
12	CHHINDWARA	110.08
13	DAMOH	153.80
14	DATIA	51.11
15	DEWAS	148.81
16	DHAR	80.71
17	DINDORI	5.65
18	GUNA	74.24
19	GWALIOR	270.75
20	HARDA	43.98
21	NARMADAPURAM	117.00
22	INDORE	463.26
23	JABALPUR	400.51
24	JHABUA	9.96
25	KATNI	185.75
26	KHANDWA	97.72
27	KHARGONE	129.03
28	MANDLA	18.26
29	MANDSAUR	137.02
30	MORENA	125.19
31	NARSINGHPUR	107.51
32	NEEMUCH	71.07
33	NIWARI	25.72
34	PANNA	46.28
35	RAISEN	117.70
36	RAJGARH	111.89

37	RATLAM	131.44
38	REWA	127.29
39	SAGAR	185.76
40	SATNA	97.03
41	SEHORE	129.63
42	SEONI	87.68
43	SHAHDOL	19.92
44	SHAJAPUR	87.31
45	SHEOPUR	42.99
46	SHIVPURI	179.88
47	SIDHI	63.68
48	SINGRAULI	59.94
49	TIKAMGARH	95.02
50	UJJAIN	288.98
51	UMARIA	19.54
52	VIDISHA	122.53
53	PANDURNA	29.38
54	MAIHAR	21.53
55	MAUGANJ	25.76
	Grand Total	**5,746.96**

संलग्नक-IV

देशी मदिरा भाण्डागारों की सूची		
क्र	**जिले का नाम**	**मद्य भाण्डागार का स्थान**
1.	ग्वालियर	ग्वालियर, ड़बरा
2.	मुरैना	मुरैना, सबलगढ़, अम्बाह
3.	श्योपुर	श्योपुर, विजयपुर
4.	भिण्ड़	भिण्ड़, लहार
5.	दतिया	दतिया
6.	गुना	गुना
7.	अशोकनगर	अशोकनगर
8.	शिवपुरी	शिवपुरी, करेरा, पिछोर
9.	सागर	सगर, खुरई, रेहली
10.	दमोह	दमोह, हटा
11.	छतरपुर	छतरपुर, नौगांव
12.	टीकमगढ़	टीकमगढ़, जतारा
13.	निवाड़ी	निवाड़ी
14.	पन्ना	पन्ना, अमानगंज
15.	उज्जैन	उज्जैन, बड़नगर, खाचरौद, महिदपुर, तराना
16.	मंदसौर	मंदसौर,गरौठ
17.	नीमच	नीमच, रामपुरा
18.	रतलाम	रतलाम, आलोट, जावरा
19.	देवास	देवास,सोनकच्छ, कन्नौद
20.	शाजापुर	शाजापुर,शुजालपुर
21.	आगर	आगर,सुसनेर
22.	इंदौर	इंदौर, महू
23.	खरगौन	खरगौन,बडवाह
24.	बड़वानी	बड़वानी, सेंधवा, खेतिया
25.	धार	धार, बड़नावर, सरदारपुर, धरमपुरी, कुक्षी
26.	झाबुआ	झाबुआ, पैटलावाद
27.	अलीराजपुर	अलीराजपुर
28.	खण्ड़वा	खण्ड़वा
29.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
30.	भोपाल	भोपाल

31.	बैतूल	बैतूल, मुलताई, भैंसदेही
32.	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम, सोहागपुर
33.	हरदा	हरदा
34.	राजगढ़	नरसिंहगढ़, सारंगपुर, ब्यावरा, जीरापुर
35.	सीहोर	सीहोर, आष्टा, नसरूल्लागंज
36.	विदिशा	विदिशा, बासौदा, सिरोंज
37.	रायसेन	रायसेन, औबेदुल्लागंज, गैरतगंज, बरेली
38.	जबलपुर	कजरवारा (जबलपुर), सीहोरा
39.	कटनी	कटनी
40.	बालाघाट	बालाघाट
41.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, अमरबाड़ा, जामई, परासिया
42.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर, गाडरवारा
43.	सिवनी	सिवनी, लखनादौन
44.	मंड़ला	मंड़ला, नैनपुर
45.	ड़िण्डौरी	ड़िण्डौरी
46.	रीवा	रीवा
47.	सतना	सतना
48.	शहड़ोल	शहड़ोल
49.	अनुपपुर	अनुपपुर
50.	उमरिया	उमरिया
51.	सीधी	सीधी
52.	सिंगरौली	बैढन
53.	मउगंज	मउगंज
54.	मैहर	मैहर
55.	पांढुर्णा	सौसर

नोट :- उपरोक्तानुसार नवीन गठित जिले यथा मउगंज एवं मैहर में सफल निविदादाता को देशी मदिरा के थोक प्रदाय हेतु उपयुक्त स्थल पर नवीन देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार की स्थापना करनी होगी। स्टोरेज भाण्डागार की स्थापना की पूर्व स्वीकृति जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

संलग्नक-V

90 ML धारिता हेतु ऑफर की निर्धारित सीमा का आधार

	- 90 ML की धारिता में प्रति पेटी (4.5 बल्क लीटर) हेतु, समान तेजी एवं पैकेजिंग में 180 ML (9 बल्क लीटर) की प्रदेश की परिगणित EDP से आवश्यक कमी प्रतिशत का ऑफर चाहा गया है। - 90 ML की प्रति पेटी (4.5 बल्क लीटर) में, समान तेजी एवं पैकेजिंग में 180 ML (9 बल्क लीटर) से स्पिरिट एवं बोटल की कीमत अतिरिक्त अन्य समस्त कीमतें जैसे बॉक्स, लेबल, ढक्कन, लेबर आदि लगभग समान हैं । - 90 ML की प्रति पेटी (4.5 बल्क लीटर) में, समान तेजी में 180 ML (9 बल्क लीटर) से स्पिरिट की मात्रा 50% है । - देशी मदिरा की प्रति पेटी कीमत के घटकों के बाज़ार मूल्य के विश्लेषण से यह अनुमान है कि मदिरा की प्रति पेटी के कीमत में लगभग 35% से 45% कीमत स्पिरिट की होती है । कीमत के इस 35% से 45% भाग में 50% कमी होने से, कुल 17.5% से 22.5% कमी संभावित है। - इसी प्रकार देशी मदिरा की प्रति पेटी कीमत के घटकों के बाज़ार मूल्य के विश्लेषण से यह अनुमान है कि मदिरा की प्रति पेटी की कीमत में लगभग 15% से 20% कीमत बोटल की होती है । 90 ML की बोटल छोटी होने से इसकी कीमत में भी लगभग 20% कमी संभावित है । कीमत के इस 15% से 20% भाग में लगभग 20% की कमी होने से, कुल 3% से 4% की कमी संभावित है । - उपरोक्तानुसार स्पिरिट एवं छोटी बोटल में संभावित कमी को जोड़कर कुल 25% की न्यूनतम कमी निर्धारित की गई है ।
	उक्तानुसार आंकलन सिर्फ प्रारंभिक जानकारी अनुसार, निविदा में अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु किये गए हैं । वास्तविक कीमत निविदा में प्राप्त ऑफर में ही प्राप्त होगी ।